रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2015/वैशाख 9, 1937
No. 144] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2015/VAISAKHA 9, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 24 अप्रैल, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(नामांकन के रद्दकरण अथवा परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/4/94/2015.—समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39(3) के साथ पठित धारा 114ए(2)(जेसी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नामांकन के रद्दकरण अथवा परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015 कहलाएँगे।

2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे तथा जीवन बीमा की उन सभी पॉलिसियों पर लागू होंगे जहाँ नामांकन का निरसन अथवा परिवर्तन लागू किया जाता है।

परिभाषाएँ

3. इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) 'अधिनियम' से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु अधिनियम में, अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्ही नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में क्रमश: उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

जीवन बीमा की पॉलिसी के धारक द्वारा नामांकन के रद्दकरण अथवा परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क

4. अपने स्वयं के जीवन के संबंध में जीवन बीमा की पॉलिसी के धारक द्वारा नामांकन के निरसन अथवा परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए बीमाकर्ता को निम्नलिखित शुल्क वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(क) उन पॉलिसियों के संबंध में जो अधिनियम की धारा 14(2) के उपबंधों के अधीन विनियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में इलैक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई हैं, वसूल किया जाने वाला शुल्क सभी लागू करों सहित 50 रुपये (रुपये पचास मात्र) से अधिक नहीं होगा ।

(ख) उपर्युक्त विनियम (4)(क) के अंतर्गत उल्लिखित पॉलिसियों को छोड़कर अन्य पॉलिसियों के संबंध में वसूल किया जाने वाला शुल्क सभी लागू करों सहित 100 रुपये (सौ रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगा ।

5. उपर्युक्त विनियम 4 में निर्धारित शुल्क को छोड़कर कोई भी अन्य शुल्क नामांकन को पंजीकृत करने के लिए जीवन बीमा की पॉलिसी को लागू करने के समय अथवा उसके बाद किसी भी समय अथवा समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 39 में निहित नामांकन से संबंधित किसी भी अन्य सेवा के लिए वसूल नहीं किया जाएगा।

6. प्रस्ताव फार्म के माध्यम से पॉलिसी के प्रारंभ के समय पॉलिसीधारक द्वारा लागू किये गये तथा पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में बीमाकर्ता द्वारा अभिलिखित किये गये नामांकन को बीमाकर्ता द्वारा विधिमान्य अभिस्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

कठिनाइयाँ दूर करने तथा स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

7. इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने में अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/ असा./161/30/15]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 24th April, 2015

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Fee for Registering Cancellation or Change of Nomination) Regulations, 2015

F. No. IRDA/Reg/4/94/2015.—In exercise of the powers conferred by Section 114A(2)(jc) read with Section 39(3) of The Insurance Act, 1938, as amended from time to time, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations namely:—

1. **Short title and commencement.**— These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Fee for Registering Cancellation or Change of Nomination) Regulations, 2015.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and shall be applicable to all the policies of life insurance where cancellation or change of nomination is effected.

Definitions

3. In these regulations, unless the context requires otherwise—

(*a*) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as amended from time to time;

(*b*) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999;

(c) all words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or in any Rules or Regulations made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

Fee for registering a cancellation or change of nomination by the holder of a policy of life insurance:

4. A Life Insurer is permitted to collect the following fee for registering the cancellation or change of the nomination by the holder of a policy of Life Insurance on his own life.

(a) In respect of those policies that are issued in electronic form as specified by the regulations under the provisions of Section 14 (2) of the Act, the fee collected shall not exceed Rs. 50 (Rupees fifty only) inclusive of all applicable taxes.

(b) In respect of policies other than those referred under Regulation (4) (a) above, the fee collected shall not exceed Rs. 100 (Rupees Hundred Only) inclusive of all applicable taxes

5. No fee, other than what has been prescribed in Regulation 4 above, shall be collected for registering a nomination either at the time of effecting a policy of life insurance or at any time thereafter or towards any other services relating to nomination contained in Section 39 of the Act, as amended from time to time.
6. The nomination effected by a policyholder at the inception of the policy through the proposal form and recorded by the Insurer in the schedule of a policy document shall be considered as a valid acknowledgement by the Insurer.

Power to remove difficulties and issue clarifications

7. In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT.III/4/ Exty./161/30/15]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.